भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1549
जिसका उत्तर मंगलवार 25 जुलाई, 2017 को दिया जाना है

हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन

1549. श्री विनायक भाऊराव राऊत:
डॉ प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:
डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एफएएमई (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करना) योजना के माध्यम से वर्ष 2030 तक सभी इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े की ओर अग्रसर होने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन कार्यक्रमों को भारी उद्योग विभाग से नीति आयोग को अंतरित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस निर्णय से कार्यक्रम को किस हद तक और किस प्रकार प्रभावी रूप से सहायता मिलेगी?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) : जी नहीं। फेम स्कीम के माध्यम से वर्ष 2030 तक पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े की ओर अग्रसर होने का कोई प्रस्ताव फिलहाल भारी उद्योग विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (ङ) : मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 8 जून, 2017 को हुई अपनी बैठक में सचिवों की समिति ने सिफारिश की है किः

(i) इलेक्ट्रिक वाहनों/स्वच्छ आवागमन समाधानों के संवर्धन के लिए नीति आयोग को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य सौंपा जाए।

(ii) मौजूदा राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान को भारी उद्योग विभाग से नीति आयोग को अंतरित करने पर विचार किया जाए, जो आवश्यकतानुसार इसका पुनर्गठन कर सकती है।

(iii) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु तथा समय-समय पर कार्य प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंत्रिमडल सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष निगरानी समिति का गठन किया जाए।

(iv) नीति आयोग इलेक्ट्रिक वाहनों/स्वच्छ आवागमन समाधानों के संवर्धन हेतु एक विस्तृत कार्यनीति तैयार करे और सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करके विशिष्ट उपलब्धियों और समय-सीमाओं सहित प्रस्तावित कार्यनीतियों/उपायों को शामिल करते हुए मंत्रिमंडल के विचारार्थ एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करें।

****